


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 1987/माघ 15, 1908
No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 4, 1987/MAGHA 15, 1908

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation**

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1987

अधिसूचना

का.मा. 52(अ) :—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति
एतद्वारा निदेश देते हैं कि पांडिचेरी और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों
के उप-राज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन और अगले आदेश तक अपने-अपने संघ राज्य क्षेत्रों
में परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों
का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करेंगे।

[सं.यू.-11030/2/86-यू.टी.एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th February, 1987

NOTIFICATION

S.O. 52(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Lieutenant Governors of the Union Territories of Pondicherry and the Andaman and Nicobar Islands shall, subject to control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984), within their respective Union territories.

[No. U-11030/2/86-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.